



भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

D

आदेश पत्रक ता० से तक
केस का प्रकार TA Misc. Case No. 113/12-18

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
7-11-12	<p>आवेदक श्री बुधन सिंह गागराई, पिता स्व० राईदास गागराई, अ.जाति/अ.ज.जाति/अ.पि. वर्ग/उपजाति हो, ग्राम टोकलो, थाना चक्रधरपुर, राजस्व थाना चक्रधरपुर, अंचल चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम ने क्रेता श्रीमति अनुपमा सामड, पति श्री गोड़ाचंद सामड, अ.जाति/अ.ज.जाति/अ.पि. वर्ग/उपजाति वर्ग हो के अंतर्गत ग्राम कायदा, थाना चक्रधरपुर/राजस्व थाना चक्रधरपुर के अंतर्गत ग्राम कायदा, जिला-प० सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना सं०</th> <th>थाना</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकवा एकड़ में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>टोकलो</td> <td>433</td> <td>चक्रधरपुर</td> <td>120</td> <td>361</td> <td>11 डी०</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक को 68,200/- राशि की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का रकवा 7.324 वर्गकड़ी को कुल कीमत 68,000/- रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक <u>21.11.12</u> तक मांग करें ।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>22.11.12</u> को उपस्थापित करें ।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर </p>	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में	टोकलो	433	चक्रधरपुर	120	361	11 डी०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में									
टोकलो	433	चक्रधरपुर	120	361	11 डी०									